



राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
National Cooperative Development Corporation
सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकारके अंतर्गत एक सांविधिक संस्था
An Statutory Institution under Ministry of Cooperation, Govt. of India
क्षेत्रीय निदेशालय , गांधीनगर Regional Directorate, Gandhinagar
NCDC Regional Directorate, Sector-16, GH Road, Gandhinagar,
Behind Central Bank of India, Gujarat - 382 016
Phone No. 079-23222293

प्राधिकृत अधिकारी का विवरण: श्री संजय कुमार, क्षेत्रीय निदेशक, एनसीडीसी, सेक्टर-16, गांधीनगर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पीछे, गुजरात - 382016, मोबाइल नंबर: 9311765340, ईमेल आईडी: ro.gandhinagar@ncdc.in

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

आम जनता को तथा विशेष रूप से उधारकर्ताओं/बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि सुरक्षित ऋणदाता के पास बंधक/प्रभारित नीचे उल्लिखित संपत्तियां, जिनका प्रतीकात्मक कब्जा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के प्राधिकृत अधिकारी, सुरक्षित ऋणदाता द्वारा ले लिया गया है, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता संगठन, अध्यक्ष और बंधककर्ताओं से सुरक्षित ऋणदाता के बकाये की वसूली के लिए ई-नीलामी के माध्यम से "जहां है जैसा है वैसा है, जो है वैसा है, जो कुछ भी है के" के आधार पर 05/12/2025 को बेची जाएंगी।

उधारकर्ता संगठन का नाम, निदेशक और बंधककर्ता	बिक्री/नीलामी के लिए सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण
उधारकर्ता: सूरत वनकर सहकारी संघ लिमिटेड, तीसरी मंजिल, वनकर संघ बिल्डिंग, सामने। रेशमवाला मार्केट, रिंग रोड, सूरत-395003., जिला-सूरत, गुजरात अध्यक्ष: श्री रजनीकांत बचकानीवाला (M) 9898500610	उप पंजीकरण जिला मंगरोल और जिला सूरत-गुजरात में मौजे दिनोद, तालुका मंगरोल में स्थित गैर कृषि भूमि का वह सारा टुकड़ा और पार्सल जिसमें (i) ब्लॉक संख्या 128 राजस्व सर्वेक्षण संख्या 100 और 118, जिसका क्षेत्रफल 31,869 वर्ग मीटर है; (ii) ब्लॉक संख्या 129 राजस्व सर्वेक्षण संख्या 117, जिसका क्षेत्रफल 6,778 वर्ग मीटर है; और (iii) ब्लॉक संख्या 139 राजस्व सर्वेक्षण संख्या 119, जिसका क्षेत्रफल 15,221 वर्ग मीटर है। ऋणी की समस्त चल सम्पत्तियों सहित मीटर्स, जिसमें चल संयंत्र एवं मशीनरी, कारखाना भवन, गोदाम और उस पर सभी सिविल निर्माण शामिल हैं।
मांग सूचना की तिथि और राशि	मांग सूचना दिनांक-22.04.2024 ₹ 86,53,42,265.00 और उस पर आगे ब्याज और शुल्क।
कब्जे की तिथि और कब्जे का प्रकार	01.07.2024 (प्रतीकात्मक कब्जा)
आरक्षित मूल्य	₹65,39,19,913/- (पैंसठ करोड़ उनतीस लाख उन्नीस हजार नौ सौ तेरह रुपये मात्र)
बयाना राशि जमा (ई.एम.डी.)	₹6,53,91,992/- (छह करोड़ तिरपन लाख इक्यानबे हजार नौ सौ बानबे रुपये मात्र)
बोली वृद्धिशील मूल्य	₹10,00,000/- (केवल दस लाख रुपये)
ई-नीलामी की तिथि और समय	05.12.2025 दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक
निरीक्षण की तिथि और समय	01.12.2025 प्रातः 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	03.12.2025 शाम 06:00 बजे तक
नीलामी बिक्री/बोली केवल वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.net के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रत्येक में 5 मिनट का असीमित विस्तार होगा।	

नियम एवं शर्तें

- उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को " जहां है जैसा है वैसा है, जो है वैसा है, जो कुछ भी है के " के आधार पर बेचा जाएगा और ऊपर उल्लिखित आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा।
- कोटेशन जमा करने से पहले, उक्त बिक्री/नीलामी, इसके नियम व शर्तें, बोली प्रपत्र और बोली/प्रस्ताव जमा करने की प्रक्रिया की जानकारी के लिए, कृपया उपरोक्त पते या नंबर पर संपर्क करें।

- 3) बोली प्रस्तुत करने से पहले, बोलीदाताओं को संबंधित सुरक्षित परिसंपत्तियों के संबंध में अपने अधिकारों, स्वामित्व, ब्याज और देय राशि के बारे में प्राधिकृत अधिकारियों से संतुष्ट हो जाना चाहिए और बाद में इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
- 4) प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और ज्ञान के अनुसार, सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कोई भार नहीं है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले भार, ई-नीलामी में रखी गई सुरक्षित परिसंपत्तियों के स्वामित्व और सुरक्षित परिसंपत्तियों को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकायों के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच कर लेनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की किसी भी प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है। सुरक्षित परिसंपत्तियों को सभी मौजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेचा जा रहा है, चाहे वे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को ज्ञात हों या अज्ञात। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे।
- 5) लागू स्टाम्प शुल्क/अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क/हस्तांतरण एवं पंजीकरण शुल्क, फीस आदि का भुगतान केवल क्रेता को ही करना होगा।
- 6) उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों से संबंधित सभी वैधानिक/गैर-वैधानिक बकाया, कर, दरें, मूल्यांकन, शुल्क, फीस, दावे आदि का भुगतान केवल क्रेता को ही करना होगा।
- 7) **इच्छुक बोलीदाता मेसर्स ई-प्रोक्वोरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड/ऑक्शन टाइगर, बी-704, वॉल स्ट्रीट-II, ओरिएंट क्लब के सामने, गुजरात कॉलेज के पास, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006, गुजरात (भारत) से ऑनलाइन बोली लगाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। संपर्क सूत्र: श्री प्रवीण कुमार थेवर -9722778828 | 9265562819 | 9265562821 | 9265562818, praveen.thevar@auctiontiger.net या support@auctiontiger.net। बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए कृपया <https://sarfaesi.auctiontiger.net> या <https://www.ncdc.in> देखें।**
- 8) **ईएमडी और केवाईसी 03.12.2025 को शाम 6.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के पास पहुँच जानी चाहिए।**
- 9) प्रस्तुत की जाने वाली बोली की कीमत आरक्षित मूल्य से अधिक होगी और बोलीदाता ₹10,00,000/- (केवल दस लाख) के गुणकों में अपनी आगे की पेशकश में सुधार कर सकेंगे।
- 10) सफल बोलीदाता को बिक्री के तुरंत बाद अगले कार्यदिवस के भीतर बोली राशि का 25% (बोली से पहले अग्रिम राशि सहित) जमा करना होगा। यदि सफल बोलीदाता ऊपर निर्धारित समय के भीतर 25% राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो अग्रिम राशि बिना किसी सूचना के जब्त कर ली जाएगी। 25% जमा करने और उसके बाद प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि करने के बाद, बोलीदाता को शेष राशि अर्थात् बोली राशि का 75% स्वीकृति/पुष्टि पत्र प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमत ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर भुगतान करना होगा। यदि पुष्टि/स्वीकृति पत्र में निर्धारित समय के भीतर शेष राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो जमा की गई कुल राशि बिना किसी सूचना के जब्त कर ली जाएगी और सुरक्षित संपत्ति को फिर से बेच दिया जाएगा।
- 11) बयाना राशि (ईएमडी) आरटीडीएस/एनईएफटी फंड ट्रांसफर के माध्यम से खाता संख्या: 32164052874, IFSC-SBIN0004298, वाणिज्यिक शाखा, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में जमा की जाएगी। सुरक्षित संपत्तियों के निरीक्षण या किसी भी जानकारी के लिए कृपया प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें।
- 12) असफल बोली लगाने वाले की ईएमडी राशि ई-नीलामी/बिक्री कार्यवाही के जल्द से जल्द बंद होने पर वापस कर दी जाएगी। ईएमडी राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।
- 13) बिक्री प्रमाणपत्र केवल क्रेता/आवेदक/क्रेता के नाम पर जारी किया जाएगा और किसी अन्य नाम पर जारी नहीं किया जाएगा।
- 14) बिक्री वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और उसके नियमों के तहत निर्धारित नियमों/शर्तों के अधीन होगी।
- 15) किसी भी सक्षम क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय द्वारा बिक्री या वसूली कार्यवाही पर रोक लगाए जाने की स्थिति में, नीलामी/बिक्री को ऐसे आदेश के अनुपालन में बिना किसी पूर्व सूचना के स्थगित/रद्द किया जा सकता है और नीलामी/बिक्री में भाग लेने वाले व्यक्तियों को ऐसे स्थगन/रद्दीकरण आदि के लिए क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति और लागत का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- 16) इच्छुक बोलीदाता/प्रस्तावक या उनके विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ई-नीलामी/बिक्री कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा प्राधिकरण पत्र बोली राशि के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- 17) उधारकर्ता संगठन को अपने निदेशकों और बंधककर्ता के माध्यम से भी संपत्ति का अधिकतम मूल्य प्राप्त करने के लिए बिक्री में भाग लेने की स्वतंत्रता दी गई है।
- 18) बिक्री प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पुष्टि के अधीन है।
- 19) प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने या नीलामी को स्थगित/स्थगित/रद्द करने या कोई अन्य उपाय करने का पूर्ण अधिकार है।
- 20) सफल बोलीदाता की यह जिम्मेदारी होगी कि वह आयकर अधिनियम की धारा 194(1ए) के तहत बिक्री राशि का 1% टीडीएस का भुगतान करे और इसका प्रमाण प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करे।
- 21) लंबित न्यायालयीन मामले: डीआरटी अहमदाबाद में एसए 404/2025 और उच्च न्यायालय अहमदाबाद में एससीए संख्या 12330/2024.

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित नियम 9(1) के अंतर्गत 15 दिनों की बिक्री सूचना के लिए वैधानिक सूचना

ऋणी संगठन/निदेशकों/बंधककर्ता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे ई-नीलामी की तिथि से पूर्व उपर्युक्त राशि, अद्यतन ब्याज और सहायक व्ययों सहित अदा करें, अन्यथा उपरोक्त संपत्तियों की नीलामी/बिक्री कर दी जाएगी और शेष राशि, यदि कोई हो, ब्याज और लागत सहित वसूल की जाएगी।

विशेष निर्देश और सावधानी

बोलीदाताओं को अपने हित में अंतिम मिनटों/सेकंड में बोली लगाने से बचना चाहिए। ऐसे मामलों में विक्रेता की ओर से किसी भी चूक/विफलता (इंटरनेट विफलता, बिजली विफलता आदि) के लिए न तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और न ही सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। ऐसी आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ/विकल्प, जैसे कि बैकअप बिजली आपूर्ति और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएँ कर लें ताकि वे ऐसी स्थिति से बच सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

तारीख: 04.11.2025

स्थान: गांधीनगर

प्राधिकृत अधिकारी

SARFAESI अधिनियम, 2002 के तहत,

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम